उत्तर-पूर्वी राज्यों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए AFSPA 1958 को पारित किया गया था। इसे प्रारंभ में असम और मणिपुर में लागू किया गया था। 1972 में संशोधन के बाद इसे मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश में भी लागू किया गया।

2. AFSPA के सेक्सन 3 में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को यह अधिकार प्राप्त है कि परीक्षण के बाद अगर उन्हें लगता है कि पूरे राज्य या उसके किसी क्षेत्र में ऐसी अशांति या खतरे वाली स्थिति है कि, सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन की सहायता करना जरूरी है, तब पूरे राज्य या उसके कुछ क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचित किया जा सकता है। AFSPA के सेक्सन 4 में सशस्त्र बलों को'अशांत क्षेत्र' में काम करने के लिए कुछ विशेष शक्तियां, दी गई हैं।

3. जब भी किसी राज्य में संपूर्ण या आंशिक रूप से, इस अधिनियम के अंतर्गत, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है तब उसके पहले संबंधित केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से परामर्श किया जाता है और सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है।

4.1 **नागालैंड** राज्य में प्रारंभ में 17.09.1991 में मोन जिले को केंद्र सरकार ने अशांत क्षेत्र अधिसूचित किया गया था। दिनांक 04.04.1995 में नागालैंड सरकार ने संपूर्ण नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। संपूर्ण नागालैंड को केंद्र सरकार की दिनांक 22.07.2003 की अधिसूचना से अशांत क्षेत्र घोषणा को जारी रखा गया था। इसके उपरांत तब से लेकर आजतक लगातार संपूर्ण नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित चला आ रहा है।

4.2 **अरूणाचल प्रदेश** के कुछ क्षेत्रों (तिरप, चांगलांग जिले और असम के साथ लगने वाली 20 किमी. की पटटी) में केंद्र सरकार ने दिनांक 17.09.1991 से अशांत क्षेत्र घोषणा लागू की है। वर्ष 2015 में इसे बढ़ाते हुए 3 जिले, अरूणाचल प्रदेश की असम से लगने वाली 20 किमी. की पटटी और 9 अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अशांत क्षेत्र घोषणा को बढ़ाकर लागू कर दिया गया। जो धीरे धीरे कम करते हुए वर्तमान में सिर्फ 3 जिलों में और 1 अन्य जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू है।

4.3 **असम** राज्य में दिनांक 27.11.1990 के केंद्र सरकार की अधिसूचना से संपूर्ण असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। दिनांक 29.08.2017 के बाद से असम सरकार संपूर्ण असम को अशांत क्षेत्र घोषित करती आ रही है जोकि वर्तमान में भी लागू है।

4.4 **मणिपुर** राज्य में AFSPA अधिनियम के लागू होने के समय से ही राज्य के कुछ क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित किये जाते रहे हैं। मंत्रालय के पास 1970 के बाद की अधिसूचनाएं उपलब्ध हैं। संपूर्ण मणिपुर राज्य को वर्ष 1999 से लगातार अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता

रहा है जिसमें से 2004 से इंफाल नगर पालिका क्षेत्र को हटा दिया गया, जो वर्तमान में भी लागू है।

4.5 उत्तर-पूर्व राज्यों में सुरक्षा स्थिति में (2014 के बाद) निरंतर सुधार के कारण ही **मेघालय** से अशांत क्षेत्र घोषणा को मार्च, 2018 में हटा लिया गया है। उसी प्रकार **त्रिपुरा** से इसे मई, 2015 में हटा लिया गया है। मिजोरम में इसे कभी लागू नहीं किया गया है।

5. उपरोक्त के आधार पर वर्तमान में निम्नलिखित चार राज्यों में ही AFSPA के अधीन अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है (31.03.2022 तक की स्थिति):

(क) केंद्र सरकार के अधिसूचना दिनांक 30.12.2021 के अनुसार संपूर्ण नागालैंड राज्य को 30.12.2021 से छ: महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित;

(ख) केंद्र सरकार के अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 के अनुसार अरूणाचल प्रदेश के तीन जिले तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसाई जिले के दो पुलिस स्टेशन नामसाई और महादेवपुर को 01.10.2021 से छ: महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित;

(ग) असम सरकार के अधिसूचना दिनांक 28.02.2022 के अनुसार संपूर्ण असम राज्य को 28.02.2022 से छ: महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित; और

(घ) मणिपुर राज्य के अधिसूचना दिनांक 08.12.2021 के अनुसार संपूर्ण मणिपुर राज्य (इंफाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) को 01.12.2021 से एक साल के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित।

6.1 उत्तर-पूर्व राज्यों की सुरक्षा स्थिति में निरंतर सुधार को देखते हुए गृह मंत्रालय में समय-समय पर AFSPA के अधीन अशांत क्षेत्र घोषणा की समीक्षा की जाती है। दिनांक 23.09.2021 को गृह सचिव ने सभी उत्तर-पूर्व राज्यों में AFSPA के अधीन अशांत क्षेत्रों की समीक्षा की थी। दिनांक 26.12.2021 को गृहमंत्री जी के अनुमोदन के बाद नागालैंड में अशांत क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनायी गयी थी। दिनांक 07.03.2022 को माननीय गृहमंत्री के अनुमोदन के पश्चात गृह सचिव ने फिर नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था, जिसमें चारों राज्य सरकारों से, सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके राज्यों में चल रहे अशांत क्षेत्र घोषणाओं को जारी रखने की जरूरत पर विचार मांगे थे।

6.2 केंद्रीय गृहमंत्री जी ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में व्यापक चर्चा की। दिनांक 22.03.2022 को मणिपुर और असम के मुख्य सचिवों के साथ गृह सचिव द्वारा एक VC मिटिंग की गई थी जिसमें उनके अपने अपने राज्यों में अशांत क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2022 से कटौती के प्रस्ताव को गृहमंत्री जी के अनुमोदन के साथ मंजूर किया गया

है। उसी प्रकार नागालैंड में कमेटी द्वारा प्रस्तावित अशांत क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2022 से कटौती के प्रस्ताव को गृहमंत्री जी के अनुमोदन के साथ मंजूर किया गया है।

6.3 उपरोक्त समीक्षा के बाद दिनांक 01.04.2022 से अगले 6 माह तक चारों राज्यों में AFSPA के अधीन निम्नलिखित अशांत क्षेत्र प्रस्तावित हैं:

(क) नागालैंड राज्य के 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया जा रहा है। **इन क्षेत्रों से हटाने के बाद नागालैंड राज्य में कुल 16 जिलों के 72 पुलिस स्टेशनों में से 13 जिलों के 57 पुलिस स्टेशनों में 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचना लागू रहेगी;**

(ख) अरूणाचल प्रदेश **राज्य के तीन जिले तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसाई जिले के दो पुलिस स्टेशन नामसाई और महादेवपुर में 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचना लागू रहेगी;**

(ग) असम राज्य के कुल 33 जिलों में से 23 जिलों से पूरी तरह और 1 जिले से आंशिक रूप से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया जा रहा है। **इन क्षेत्रों से हटाने के बाद असम राज्य में कुल 33 जिलों में से 9 पूर्ण जिले और 1 जिले में आंशिक रूप से 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचना लागू रहेगी;** और

(घ) मणिपुर राज्य के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया जा रहा है। **इन क्षेत्रों से हटाने के बाद मणिपुर राज्य में कुल 16 जिलों के 97 पुलिस स्टेशनों में से 16 जिलों के 82 पुलिस स्टेशनों में 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचना लागू रहेगी**।

———————